स्थापना वर्ष–2025 महाविद्यालय कोड : 1302

राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर

सरोजनी नगर, लखनऊ, उ0प्र0

(सहयुक्त : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ)

विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन–पत्र

सत्र : 202 –2

gdcsarojininagar.ac.in
gdclateefslucknow@gmail.com
www.instagram.com/gdclatifslucknow/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61585137020601

मूल्य रु. 100/–

प्रोफेसर सुधा, प्राचार्य

सत्र 2025–26 में आयोजित खेल प्रतियोगिताएं

सत्र 2025–26 में महाविद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ

समाचार पत्रों के आइने में

राजकीय महाविद्यालय में महिला सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन, पिंक सुरक्षा ऐप की दी गई जानकारी

बिजनौर टुडे संवाददाता
इदरीश खान

सरोजनीनगर लखनऊ। सरोजनी नगर स्थित राजकीय महाविद्यालय लतीफ नगर में मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत गुरुवार को महिला सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या प्रो. सुधा ने की, जबकि संचालन मिशन शक्ति प्रभारी डॉ. सविता ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में रसायन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अमित यादव ने छात्र-छात्राओं के मोबाइल में पिंक सुरक्षा ऐप स्थापित कराया और इसके उपयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉ. अमित यादव ने बताया कि यह ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम है, जो आपात …

महिला सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े का शुभारम्भ

लखनऊ। सरोजनीनगर स्थित राजकीय महाविद्यालय लतीफ नगर में गुरुवार को मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत महिला सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या प्रो. सुधा ने की, जबकि मिशन शक्ति प्रभारी डॉ. सविता ने परामर्श सत्र का आयोजन कराया। प्राचार्या प्रो. सुधा ने सत्र का औपचारिक उद्घाटन करते हुए छात्र-छात्राओं से अपने हुनर को पहचानने और स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं ही सशक्त समाज की नींव रख सकती हैं। इस अवसर पर प्रो. पवन ने छात्राओं को आत्मरक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से संबंधित विभिन्न टिप्स दिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. अमित यादव, डॉ. राघवेंद्र नारायण, डॉ. राजेश यादव, डॉ. राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत यह आयोजन महिलाओं को आत्मरक्षा, जागरूकता और स्वाभिमान के प्रति प्रेरित करने के …

मिशन शक्ति फेज-5 के तहत राजकीय महाविद्यालय में महिला सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ

बिजनौर टुडे संवाददाता
इदरीश खान

सरोजनीनगर लखनऊ। सरोजनी नगर स्थित राजकीय महाविद्यालय लतीफ नगर में गुरुवार को मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत महिला सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या प्रो. सुधा ने की, जबकि मिशन शक्ति प्रभारी डॉ. सविता ने परामर्श सत्र का आयोजन कराया। प्राचार्या प्रो. सुधा ने सत्र का औपचारिक उद्घाटन करते हुए छात्र-छात्राओं से अपने हुनर को पहचानने और स्वावलंबी बनने का आह्वान …

राजकीय महाविद्यालय में मिशन शक्ति के तहत महिला स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित

अम्बुजा फाउंडेशन प्रतिनिधियों ने छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की दी जानकारी

लखनऊ। सरोजनीनगर स्थित राजकीय महाविद्यालय लतीफ नगर में प्राचार्या प्रो. सुधा के नेतृत्व में चल रहे मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत शनिवार को अम्बुजा फाउंडेशन एवं एचडीएफसी बैंक के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मिशन शक्ति प्रभारी डॉ. सविता के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अम्बुजा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने छात्र-छात्राओं को नर्सिंग, घरेलू उपकरणों की मरम्मत, लैब टेक्नीशियन व माइक्रोफाइनेंस जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी दी तथा बताया कि इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण केंद्र बंथरा के पास स्थित है, जहां से विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित करने का …

सत्र 2025–26 में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

प्रदेश के उच्च शिक्षा के विकास के लिए संकल्पित सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के अन्तर्गत सत्र 2025-26 से संचालित राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर, सरोजनी नगर, लखनऊ में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु मील का पत्थर साबित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र के गरीब, पिछड़े व ग्रामीण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु की गयी। इस क्रम में ग्राम लतीफनगर में कुल 1.316 हेक्टेयर जमीन पर महाविद्यालय का निर्माण हुआ। सरोजनी नगर क्षेत्र में लम्बे समय तक उच्च शिक्षण संस्थानों के अभाव के कारण विद्यार्थियों को मजबूरी में निजी शिक्षण संस्थानों में मंहगी फीस देकर पढ़ना पड़ता था या तो अपनी आगे की शिक्षा को बन्द करना पड़ता था। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना इस महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य रहा है। यह महाविद्यालय लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील के लतीफनगर में स्थित एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान है जो ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर, सरोजनी नगर, लखनऊ के मुख्य भवन में प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्ष के साथ परीक्षा कक्ष तथा प्राध्यापक कक्ष का निर्माण किया गया। शुद्ध पेय जल की उपलब्धता के लिए 75 के.एल. क्षमता का एक ओवर हेड टैंक निर्मित किया गया। राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर, सरोजनी नगर, लखनऊ में प्राचार्य का एक, प्राध्यापकों के कुल-15 पद तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 02 पद सृजित हैं। महाविद्यालय में तीन संकाय यथा कला, विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय संचालित हैं। **कला संकाय** के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, चित्र कला, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान, **विज्ञान संकाय** के अन्तर्गत- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित एवं **वाणिज्य संकाय** में अध्ययन की व्यवस्था है।

महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमावली

स्वीकृत सीट संख्या

बी.ए. - प्रथम वर्ष- 460 सीट

बी.एस-सी. - प्रथम वर्ष- 120 (60 जीव विज्ञान वर्ग तथा 60 सीट गणित वर्ग)

बी.काम. - प्रथम वर्ष- 60 सीट

शासन / विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सीट संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता-

बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा में सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत से अधिक अंक तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है। बी.एस-सी. में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में बायोलोजी / मैथ समूह होना आवश्यक है। वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में वाणिज्य, गणित यां अर्थशास्त्र विषय का होना अनिवार्य है

प्रवेश पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगा।

मेरिट सम्बन्धी आधार-

महाविद्यालय में प्रवेश पूर्णतया श्रेष्ठताक्रम (मेरिट) के आधार पर होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त गैप होगा, के प्रति वर्ष का प्राप्तांक में 02 प्रतिशत अंक कम करके मेरिट निर्धारित होगी।

यदि कई अभ्यथियों के इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक एक बराबर होगा तो उनके हाईस्कूल के प्राप्तांक के आधार पर श्रेष्ठताक्रम का निर्धारण होगा।

प्रवेश सम्बन्धी नियम-

1. विश्वविद्यालय / शासन तथा महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमों / अध्यादेशों के अन्तर्गत मेरिट के आधार पर प्रवेश लिये जायेंगे।
2. आवेदन-प़त्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों को संलग्न कर स्व-प्रमाणित कर निम्न क्रम में 01 प्रति में प्राप्त किया जायेगा।
    1) ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रवेश फार्म
    2) स्वप्रमाणित LURN की कापी
    3) हाईस्कूल की स्वप्रमाणित अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की फोटोकापी
    4) इण्टरमीडिएट की स्वप्रमाणित अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की फोटोकापी
    5) जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकापी (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु. जाति / जनजाति हेतु)
    6) गैप होने की दशा में शपथ पत्र
    7) स्थानान्तरण (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (मूलप्रति)
    8) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो कापी

3. प्रवेश एवं महाविद्यालय की गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त सूचनायें सूचनापट्ट (नोटिसबोर्ड) पर प्रदर्शित की जायेंगी। समय से प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी कॉउन्सलिंग के लिए निर्धारित तिथि व समय पर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा। उसके नाम पर पुनः विचार करना सम्भव नहीं होगा।
5. श्रेष्ठता सूची एवं प्रवेश सम्बन्धी समस्त निर्णयों में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

साक्षात्कार (काउन्सलिंग) सम्बन्धी निर्देश-

1. प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में नाम आने के बाद निर्धारित तिथि पर प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है।

2. साक्षात्कार के समय टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रवेश समिति के पास जमा करना अनिवार्य है। बिना टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण–पत्र के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. प्रवेश संस्तुत होने के बाद शुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके उपरान्त रसीद दिखाकर मुख्य शास्ता से परिचय–पत्र एवं पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालय कार्ड बनवाना भी अनिवार्य है। प्रवेश के पश्चात् अपने विषय से सम्बन्धित कक्षा में उपस्थित न होने व 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में संचालित विषय :

(**कला वर्ग**) हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, चित्र कला, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र।

विज्ञान वर्ग) – समूह 01– रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान (ZBC)

समूह 02– रसायन विज्ञान, भैतिक विज्ञान तथा गणित (PCM)

(**वाणिज्य वर्ग**)– समस्त अनिवार्य विषय

पाठ्यक्रम में उ.प्र. शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा किया गया परिवर्तन मान्य होगा।

1. मेजर / माइनर विषय का आवंटन रिक्तता के आधार पर होगा। श्रेष्ठताक्रम में निचले स्थान पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को वही विषय दिये जायेंगे जिनमें स्थान रिक्त होंगे।
2. विषय निर्धारण में सीट की उपलब्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जायेगा। **<u>प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा</u>।**
3. कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा फार्म भरने से वंचित किया जा सकता है।
4. प्रवेश में राज्य सरकार / भारत सरकार के आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

शुल्क में शासन या विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी मद में बाद में शुल्क परिवर्तन किया जा सकता है। तद्नुसार परिवर्तित शुल्क की धनराशि का भुगतान अलग से करना होगा।

विश्वविद्यालय नामांकन एवं परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र–

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की तिथि निर्धारित होने पर महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर तत्सम्बन्धी सूचना प्रदर्शित की जायेगी। निर्धारित तिथि पर परीक्षा आवेदन–पत्र भरने का दायित्व स्वयं छात्र / छात्रा का होगा।

परिचय–पत्र–

प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय का परिचय–पत्र रखना अनिवार्य है। प्रवेश के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा छात्र / छात्रा को परिचय–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परिचय–पत्र पर चीफ प्राक्टर या प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी का परिचय–पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसे दूसरा परिचय–पत्र चीफ प्राक्टर की अनुमति से निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्गत किया जायेगा। प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर परिचय–पत्र बनवाना अनिवार्य है।

छात्र / छात्रा हेतु गणवेश (कॉलेज यूनिफार्म) का प्रावधान–

प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म छात्राएं– ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार, दुपट्टा एवं छात्र– सफेद शर्ट,ग्रे पैंट में आना अनिवार्य है। बिना यूनीफार्म के महाविद्यालय में प्रवेश अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

उपस्थिति–

सम्बन्धित विषय की कक्षाओं में छात्र / छात्राओं की उपस्थिति आवश्यक है। सत्र के अन्त तक प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इससे कम उपस्थिति होने पर छात्र / छात्रा को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है।

अनुशासन सम्बन्धी नियम–

छात्र / छात्राओं में अनुशासन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड को गठन किया गया है। महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था तोड़ने पर छात्र / छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार अनुशासन समिति को प्राप्त है। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक अनुशासन समिति के सदस्य हैं। अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में वरिष्ठ छात्र / छात्राओं की एक समिति गठित कर उनका सहयोग भी लिया जाता है। प्रत्येक छात्र / छात्रा को अनुशासन सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है–

1- महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय–पत्र लाना अनिवार्य है।

2- कक्षाओं में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

3- पान मसाला, गुटखा या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करते पाए जाने पद छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4- रैगिंग संज्ञेय अपराध है। महाविद्यालय परिसर में यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

5- यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित योग्यता एवं तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेता है तो तथ्य उद्घाटित होने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

6- महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करना, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए सहपाठियों एवं छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय प्रशासन के विरूद्ध भड़काना, प्रदर्शन एवं आन्दोलन करना अनुशासनहीनता है, ऐसे में छात्र/छात्रा के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

7- अपनी मोटर साइकिल/साइकिल आदि को निर्धारित स्थान पर खड़ा करें। अन्य जगह पर वाहन खड़ा करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

8- यदि कोई भी छात्र/छात्रा अनुशासन सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके स्कॉलर रिकार्ड एवं महाविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले चरित्र प्रमाण–पत्र में प्रविष्टि अंकित की जायेगी।

पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी व्यवस्था –

महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था है, छात्र/छात्राएं प्रवेश के पश्चात् लाइब्रेरी कार्ड बनवायें, जिससे उन्हें पुस्तकें निर्गत की जा सके। वाचनालय में दैनिक समाचार–पत्र एवं मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाएं मंगायी जाती है, जिसे छात्र/छात्राएं पुस्तकालय में ही बैठकर पढ़ सकते है।

पुस्तकालय सम्बन्धी अन्य नियम–

- प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें 15 दिनों के लिए निर्गत की जायेगी। पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
- परीक्षा के दिनों में छात्र/छात्राओं को पुस्तके नहीं निर्गत की जायेगी।
- पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों को जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश–पत्र निर्गत किया जायेगा। वाचनालय में बैठकर बातचीत करना, मोबाइल का प्रयोग करना, गाना सुनना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ एवं छात्र कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ–

महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु महाविद्यालय में निम्नांकित सुविधाएँ उपलब्ध है–

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) एवं रोवर्स / रेंजर्स–

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स / रेंजर्स इकाई का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।

क्रीड़ा–

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं में खेल प्रतिभा के विकास हेतु वर्षभर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसके अन्तर्गत द्वि–दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह भी आयोजित किया जाता है जिसमें छात्र / छात्राऐं अपनी क्षमता एवं रूचि के अनुरूप विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते है, विजयी छात्र / छात्राओं को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है।

छात्रवृत्ति–

शासन / समाजकल्याण / पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। तत्सम्बन्धी सूचना नोटिस बोर्ड पर यथासमय प्रदर्शित की जाती है। अनुशासनहीनता एवं अशिष्ट व्यवहार तथा 75 प्रतिशत से कम उपस्थित वाले छात्र / छात्राओं का नाम संस्तुत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

विभागीय परिषद–

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय से मेधावी छात्र / छात्राओं को चुनकर विषय प्रभारी की अध्यक्षता में विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है। इसके अन्तर्गत छात्र / छात्राओं के वौद्धिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा–वाद–विवाद, निबन्ध लेखन कहानी लेखन, आशु भाषण, काव्य पाठ, क्विज, पोस्टर, कोलॉज, रंगोली, स्लोगन राइटिंग, प्रसार व्याख्यान माला, रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है।

उक्त प्रतिभागियों में विजयी प्रतिभागियों को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है।

महाविद्यालय के प्राध्यापकों के निर्देशन में छात्र / छात्राओं को अर्न्तमहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिभाग करने वाले छात्र / छात्राऐं पुरस्कृत होकर महाविद्यालय की गरिमा में वृद्धि करते हैं।

अन्तराल वर्ष (गैप इयर) हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप

(10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं .... पुत्र / पुत्री श्री .... पता ....

.... जो आपके महाविद्यालय (राजकीय महाविद्यानय लतीफनगर, सरोजनी नगर लखनऊ) में कक्षा .... में प्रवेश लेना चाहता हूँ / चाहती हूँ।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि मैंने इण्टर समकक्ष परीक्षा सत्र .... में उत्तीर्ण की है इसके बाद सत्र........................ से सत्र .... तक मैंने किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं किया है। मैं इस अन्तराल में .... कारण / कारणों से प्रवेश नहीं ले सका था / सकी थी।

3. यदि मेरा उक्त बयान / घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतन्त्र होगा।

4. उक्त शपथ पूर्वक बयान के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थानः

तिथिः

प्रार्थी / अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम...

पिता का नाम ....

पता ....

मो. नं. ....

राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर, सरोजनी नगर, लखनऊ

प्रवेश आवेदन-पत्र

कक्षा :

सत्र 202 - 20

आवेदन-पत्र सं.

LURN No..

1. चयनित विषय : Major-I..............................Major-2................................Minor-3...............................

छात्र/छात्रा हस्ताक्षर

2. छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) ....

3. छात्र/छात्रा का नाम (अंग्रेजी में) ....

4. जन्मतिथि : दिन [ ][ ] माह [ ][ ] वर्ष [ ][ ][ ][ ]

5. पिता का नाम : .... 6. माता का नाम : ....

7. जातिः .... धर्म : .... राष्ट्रीयता : ....

8. श्रेणी : सामान्य [ ] अ.पि.वर्ग [ ] अनु. जाति [ ] अनु. जनजाति [ ] अल्पसंख्यक [ ] विकलांग [ ] आर्थिक रूप से कमजोर [ ] अन्य [ ]

जिस श्रेणी के हैं उसका प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

9. अभिभावक नाम .... छात्र/छात्रा से सम्बन्ध : ....

10. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये .... व्यवसाय ....

11. छात्र/छात्रा का स्थाई पता : ग्राम/मोहल्ला..

पोस्ट आफिस .... जनपद .... पिनकोड ....

12. स्थानीय पता ....

ई-मेल : .... मोबाइल नं. ....आधार सं. ....

13. उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि : ....

14. शैक्षिक योग्यता :

क्र. सं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	कालेज का नाम जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो	विश्वविद्यालय/बोर्ड	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत (%)
1.	हाईस्कूल अथवा समकक्ष							
2.	इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष							
3.	B.A./B.Sc. & B.Com. I/II/ अन्य							

15. अन्तिम शिक्षण संस्था का नाम (जहाँ इससे पूर्व शिक्षा ग्रहण की है) ....

16. संलग्नकों का विवरण : 1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र 2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र 3. टी.सी. 4. चरित्र प्रमाण-पत्र 5. जाति प्रमाण पत्र 6. आधार की छायाप्रति 7. LURN की छायाप्रति

प्रवेश आवेदन-पत्र प्राप्ति रसीद सत्र 202 -20

श्री/कु. .... पुत्र/पुत्री श्री .... आवेदन पत्र सं. से .... संलग्नकों सहित आवेदन-पत्र प्राप्त किया।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

घोषणा

मैं .... घोषित करता हूँ/करती हूँ कि यदि मुझे इस महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया तो मैं महाविद्यालय के अनुशासन में रहूँगा/रहूँगी और कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा/करूँगी जो महाविद्यालय के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करे। मेरे द्वारा उपर्युक्त तथ्यों की प्रविष्टि की गई हैं। यदि उपर्युक्त तथ्यों में से कुछ भी जानबूझ कर छिपाया गया हो अथवा गलत पाया जाये तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड (गणवेश/यूनीफार्म) मुझे मान्य होगा। कक्षा में मेरी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अवश्य रहेगी।

दिनांक .... पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर.. प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर................................

प्रवेश समिति के प्रयोग हेतु

अस्थाई प्रवेश संस्तुत : हाँ/नहीं ....

प्रवेश समिति प्रभारी/सदस्य के हस्ताक्षर ....

टिप्पणी ....